6977

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

सत्यमेव जयते

e-Stamp

Signature
Acc Name- Kuldeep Saxena
Acc Code- U.P.14114104
Acc Address- Teh. Chhibramau
Distt Kannauj, Mob- 9452331152
License No- C10

Certificate No.	:	IN-UP31637246438897U
Certificate Issued Date	:	01-Jul-2022 01:56 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14114104/ KANNAUJ/ UP-KNJ
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1411410465169813146676U
Purchased by	:	AJAY PAL SINGH YADAV
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	LAND SITUATED AT TALGRAM DEHAT PARGANA TALGRAM TEHSIL CHHIBRAMAU DISTT KANNAUJ
Consideration Price (Rs.)	:	72,000 (Seventy Two Thousand only)
First Party	:	AJAY PAL SINGH YADAV
Second Party	:	AJAY PAL SINGH YADAV
Stamp Duty Paid By	:	AJAY PAL SINGH YADAV
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,600 (One Thousand Six Hundred only)

0008304629

Statutory Alert:

0363

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP31378227348912U
Certificate Issued Date	:	01-Jul-2020 12:12 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14158004/ CHHIBRAMAU/ UP-KNJ
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1415800454670266517996U
Purchased by	:	AJAY PAL SINGH YADAV
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	LAND SITUATED AT TALGRAM DEHAT PARGANA TALGRAM TEHSIL CHHIBRAMAU DIST KANNAUJ
Consideration Price (Rs.)	:	72,000 (Seventy Two Thousand only)
First Party	:	AJAY PAL SINGH YADAV
Second Party	:	AJAY PAL SINGH YADAV
Stamp Duty Paid By	:	AJAY PAL SINGH YADAV
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,600 (One Thousand Six Hundred only)

Sanjesh Kumar Saxena
Stamp Vendor
Licence Number-C-47
E-Stamping Acc ID - UP1415...
Tehsil- Chhibramau Distt - Kannauj
Mob - ...

0008346670

लेखपत्र का संक्षिप्त - विवरण

(लीज डीड)

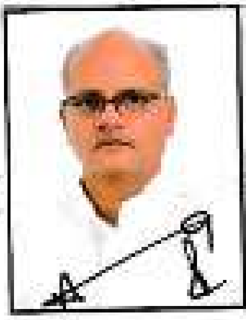

लीजडीड वार्षिक	नियमानुसार 6 गुना लीजडीड	स्टाम्प दर
12,000/-	72,000/-	4 प्रतिशत

कुल स्टाम्प	समय	मौजा - तालग्राम देहात
1600/4 1600 = 3200/=	30 वर्ष	परगना - तालग्राम

हम कि अजय पाल सिंह यादव पुत्र रविनाथ सिंह यादव निवासी सिविल लाइन फूस बंगला फतेहगढ़ फर्रूखाबाद प्रथम पक्ष मालिक जायदाद लीज पर देने वाले मोबाइल नं0 - 9415167660 आधार कार्ड नं0 - 595221821576 व रामबेटी महिला महाविद्यालय समिति ग्राम यदुवंश नगर तालग्राम पोस्ट तालग्राम जनपद कन्नौज द्वारा प्रबन्धक / सचिव अजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह निवासी सिविल लाइन फूस बंगला फतेहगढ़ फर्रूखाबाद द्वितीय पक्ष लीज पर लेने वाले विदित हो कि तीन किता आराजी 8100 वर्गमीटर खाता सं0 02750 गाटा सं0 3020ड रकवा 0.4050 कुल भाग व खाता सं0 3009 गाटा सं0 3020च/0.3240 कुल भाग व खाता सं0 2963 गाटा सं0 3020झ/0.4050 मे से 0.0810 है स्थित मौजा तालग्राम परगना तालग्राम तहसील छिबरामऊ जनपद कन्नौज जिसका प्रथम पक्ष मालिक व काबिज व दखील है ।

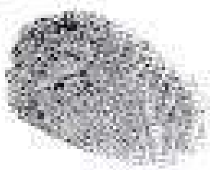

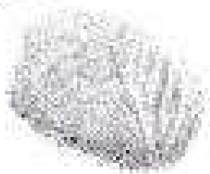

चूंकि उपरोक्त लिखी भूमि एंव भवन और खाली जगह मुझ प्रथम पक्ष की किसी प्रयोग में नही आ रही है और द्वितीय पक्ष उपरोक्त लिखी जगह व भवन व खाली जगह को लीज पर लेने को तैयार है इस कारण हम दोनो पक्ष के मध्य निम्नलिखित शर्तो के तहत पाबन्द होते हुए यह लीज डीड तहरीर करते है और लिख देते है कि लीज डीड की प्रत्येक शर्त पाबन्दी हम दोनो पक्ष तथा हमारे वारिसान पर अनिवार्य लागू होगी सरायत इस प्रकार है कि 1- यह कि मुझ प्रथम पक्ष ने उपरोक्त लिखी जगह व भवन व खाली जगह स्थित मौजा तालग्राम परगना तालग्राम तहसील छिबरामऊ जनपद कन्नौज ।

आवेदन सं०: 202200833008363

पट्टा विलेख/ कबूलियतनामा

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 6977 वर्ष: 2022

प्रतिफल- 1600 स्टाम्प शुल्क- 3200 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 720 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 780

श्री अजयपाल सिंह यादव ,
पुत्र श्री रविनाथ सिंह
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: निवासी सिविल लाइन फूस बंगला फतेहगढ फर्रूखाबाद

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 01/07/2022 एवं 03:12:33 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अमित कुमार मिश्रा प्रभारी
उप निबंधक :छिबरामऊ
कन्नौज
01/07/2022

महेन्द्र सिंह कठेरिया
निबंधक लिपिक
01/07/2022

को द्वितीय पक्ष को दिनांक 01.07.2022 से 30.06.2052 के लिए यानि 30 (तीस) वर्ष तक के लिए लीज पर देने का अनुबन्ध किया है । और बाबत लीज शुदा कब्जा व दखल जगह पर द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष से प्राप्त कर लिया है । 2- यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त लिखी जगह व भवन व खाली जगह पर लीज दिनांक से 30 वर्ष तक पूर्णतया अधिकार रहेगा । 3- यह द्वितीय पक्ष रामबेटी महिला महाविधालय समिति ग्राम यदुवंश नगर तालग्राम पोस्ट तालग्राम जनपद कन्नौज द्वारा प्रबन्धक / सचिव अजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह निवासी सिविल लाइन फूस बंगला फतेहगढ़ फर्रूखाबाद चलाने की समस्त कार्यवाही पूरी कर शैक्षणिक संस्थान से सम्बन्धित लीज शुदा जगह को शैक्षणिक संस्थान के कार्यो मे ही प्रयोग कर सकेगा ।

आवेदन सं०: 202200833008363

बही स०: 1	रजिस्ट्रेशन स०: 6977	वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता: 1

श्री अजयपाल सिंह यादव, पुत्र श्री रविनाथ सिंह

निवासी: निवासी सिविल लाइन फूस वंगला फतेहगढ फर्रूखावाद

व्यवसाय: व्यापार

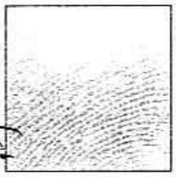

पट्टा गृहीता: 1

श्री रामवेटी महिला महाविधालय समिति ग्राम यदुवंश नगर तालग्राम के द्वारा अजय पाल सिंह , पुत्र श्री रविनाथ सिंह

निवासी: निवासी सिविल लाइन फूस वंगला फतेहगढ फर्रूखावाद

व्यवसाय: व्यापार

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री राजपाल , पुत्र श्री यदुनाथ

निवासी: तहसील परिसर छि0 कन्नौज

व्यवसाय: वकालत

पहचानकर्ता : 2

श्री सामोद सिंह यादव, पुत्र श्री लंकुश सिंह यादव

निवासी: तहसील परिसर छि0 कन्नौज

व्यवसाय: वकालत

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

अमित कुमार मिश्रा प्रभारी
उप निबंधक : छिबरामऊ
कन्नौज
01/07/2022

महेन्द्र सिंह कंठेरिया
निबंधक लिपिक कन्नौज
01/07/2022

4 - यह कि द्वितीय पक्ष लीज शुदा जगह पर अपनी सुविधा अनुसार स्थाई व अस्थाई निर्माण कर सकेगा जिसमे प्रथम पक्ष की रजामंदी की आवश्यकता नही होगी। 5- यह कि लीज करार / लीज की अवधि 30 वर्ष से पूर्व नही समाप्त होगी। 6- यह कि लीज की अवधि सीमा समाप्त होने के उपरान्त द्वितीय पक्ष को उपरोक्त लिखी जगह व भवन व खाली जगह खाली कर प्रथम पक्ष को कब्जा दखल सौप देंगा और न ही किसी अन्य प्रकार की कोई दावेदारी करेगा और यदि करेगा तो प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह जरिए अदालत लीजशुदा भूमि खाली करा लेवे जिसके समस्त हर्जे खर्चे को देने का मुस्तहिक द्वितीय पक्ष होगा। 7- यह कि द्वितीय पक्ष यदि व्यवसाय करने हेतु किसी संस्था या साहूकार या बैंक आदि से कर्ज लेता तो उसकी सारी जिम्मेदारी कर्ज लेने वाली की ही होगी एंव साहूकार का लीजशुदा जायदाद से कोई सरोकार नही होगा यदि साहूकार या बैंक लीजशुदा जायदाद पर कब्जा करते है ।

तो उसे अवैध समझा जावेगा यह भी विदित रहे कि प्रबन्धक अजय पाल सिंह यादव को प्रबन्धक समिति के समस्त सदस्य की बैठक द्वारा लीज एंव सभी कार्य करने के लिए चुना गया है अतः हम दोनो पक्षो ने खूब सोच समझकर स्थिर बुद्धि की पूर्ण सचेत दशा में यह लीज डीड लिख दिया प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। लीज डीड मे **चस्पा फोटो प्रमाणित श्री सामोद सिंह यादव एडवोकेट** ने की है।

गवाह न0 – 1 राजपाल सिंह यादव पुत्र यदुनाथ सिंह यादव

निवासी तहसील परिसर तहसील छिबरामऊ

जनपद कन्नौज।

गवाह नं0 – 2 सामोद सिंह यादव पुत्र श्री लंकुश सिंह यादव

निवासी तहसील परिसर तहसील छिबरामऊ

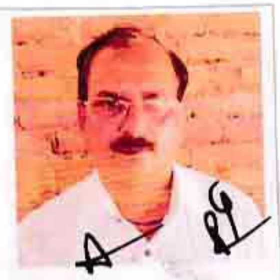

जनपद कन्नौज।

ड्राफ्टकर्ता – श्री सामोद सिंह यादव एडवोकेट तहसील छिबरामऊ

तहरीर – दिनांक 01.07.2022

आवेदन सं०: 202200833008363

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 8063 के पृष्ठ 77 से 92 तक क्रमांक 6977 पर दिनाँक 01/07/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अमित कुमार मिश्रा प्रभारी
उप निबंधक : छिबरामऊ
कन्नौज
01/07/2022